

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

2/18/2021

तारीख रज

सुहानी वगैरा

बनाम

धारा वगैरा

क्र. नम्बर	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------------	---

08.2021

वकील प्रार्थी उपरिथत। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 35, 36, वाके ग्राम बहरामपुर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 18.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

18.11.21

कृपाय करीकेन पर0/P.0

हव (सुप. अलवर)

1भावनी दिनांक 22.11.21 जो देय हो।

22.11.21

पत्रावली PUKS / कम्प कोर्ट में पेश हुई।

पत्रावली सहमत

यहाँ लेने के कारण प्रकरण का निपटारा नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 11/1/2022 को न्यायालय में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)



01 281
753122

तो यह हो।

11/3/24 सुभाष चंद्र बोस 750/P.O.
राज्य-जय. भा. प्र. से. ८८५
प्राथमिक विभाग 6/5/24
को भेज दो।

6/5/24

कमील काशी/डाकरी उपाख्येन - ही आये. कमील
प्राथमिक के का. 2 अविभाज सिद्धांत प्रकृ. कोडि
उपाख्येन नहीं आया। अतः डाकरी का प्राथमिक - प्र
अविभाज कमील डाकरी के अदक प्रकृ. - अदक
काशी के अख्येन किया जाता है प्र. 14/1/1911 के
सुभा. होकर नकल से कठ से वा. लकमील अक
को के साथ सलान ही सुभा. 30/1/24

~~A - 1~~
उपस्थित अधिकारी
कटकर (अलवर)